भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3630

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

झारखंड में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना

3630. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** क्या सरकार का देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों और विशेषकर झारखंड के संथाल परगना में स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) **:** क्या सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए और अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) : देश में उत्साही उद्यमियों को एमएसएमई स्थापित करने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) : क्या एमएसएमई इकाइयों को उनकी मांग के अनुसार, उनके कार्य संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश और धन उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय किसी भी राज्य में एमएसएमई की स्थापना नहीं करता है। एमएसएमई क्षेत्र में निजी उद्यम इकाइयां शामिल हैं तथा इस क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा स्वयं निवेश किया जाता है। उद्यमों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। केंद्र सरकार झारखंड राज्य सहित देश भर में एमएसएमई के संवर्धन, विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है।

(घ) और (ड.): एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार की निधि स्कीम (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ देश भर में सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में लघु व्यवसायों पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. दबाबग्रस्त एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)अधीनस्थ ऋण।
ii. एमएसएमई सहित व्यावसायों के लिए गारंटीड आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) ।
iii. आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से इक्विटी समावेशन
iv. एमएसएमई के वर्गीकरण का नया संशोधित मानदंड।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नए सिरे से पंजीकरण।
vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2022-23 में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की थी:-

i. क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती प्रक्रिया के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस तथा असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।

ii. जीईसीएल/ईसीएलजीएस का मार्च, 2023 तक विस्तार किया जाना है तथा इसके गारंटी कवर का 50,000 करोड़ रुपए तक विस्तार किया जाना है जिसके साथ विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए अतिरिक्त राशि उद्दिष्ट की जा रही है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्कीम का अपेक्षित निधियों को समावेशित करके पुनरूद्धार किया जाना है ताकि एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट राशि की सुविधा प्रदान की जा सके और रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जा सके।

iv. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के निष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) नामक कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा।

****